

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2017/01469

दिनांक 20.12.2017

सेवा में,

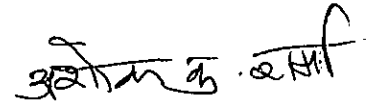
श्री नरेश कुमार साहू,

महोदय,

उक्त विषयक आपका गैरदिनांकित आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 12.12.2017 को डायराइज हुआ (डायरी सं. 182455) तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 13.12.2017 को प्राप्त हुआ, का अवलोकन करें।

बिंदु सं. 1, 2 एवं 3	वांछित सूचना हेतु सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो आयोग की वेबसाइट के लिंक http://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf पर उपलब्ध है का अवलोकन करें, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
बिंदु सं. 4 एवं 5	केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा द्वितीय अपील पर आदेश जारी होने के बाद भी यदि संबंधित विभाग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है या आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, तो आयोग में द्वितीय अपील सं. का उल्लेख करते हुए नॉन-कम्प्लायंस दाखिल की जा सकती है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067 पर की जा सकती है।



(ए. के. शर्मा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल